भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1248

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण संवितरण

1248. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक स्तर को उन्नत करने के लिए उन्हें न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देने का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग न्यूनतम भुगतान क्षमता के कारण इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु उनमें कोई वर्गीकरण करने का विशेष प्रावधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है और अग्रिमों पर ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने संबंधित बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी व्यापक विनियामक ढांचे के अध्यधीन है।

केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न योजनाएं (सीएसएस) हैं जिनके अंतर्गत बैंकों/निगमों द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के व्यक्तियों को ऋण/वित्तीय सहायता में काफी आरक्षण/छूट दी जाती है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के 40% लाभार्थियों के लिए आसान पात्रता और उच्च अनुमत ऋण राशि होंगी;

(ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) में समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त कवरेज के साथ ब्याज दरों में छूट का प्रावधान है जिसमें 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों।

(iii) स्टैंड-अप इंडिया योजना, जिसमें बैंक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए एससी/एसटी और महिला उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर पर ₹ 10 लाख से ₹ 1 करोड़ के बीच ऋण देते हैं;

(iv) विभिन्न योजनाओं, अर्थात सूक्ष्म वित्त योजना, सावधि ऋण योजना, शैक्षिक ऋण योजना, उद्यम निधि योजना और आजीविका सूक्ष्म वित्त योजना आदि के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर चैनल पार्टनरों (स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों/बैंक) के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आय सृजन योजनाओं को वित्तीय सहायता;

(v) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा विभिन्न योजनाओं अर्थात आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्व-सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना और सावधि ऋण योजना आदि के अंतर्गत रियायती ब्याज दर पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के लिए आय सृजन योजनाओं को वित्तीय सहायता;

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्यों के अंतर्गत आरआरबी के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 15% अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर (सीईओबीएसई) के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई) और अन्य सभी बैंक श्रेणियों के लिए एएनबीसी अथवा सीईओबीएसई के 12% का उप-लक्ष्य कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्ति भी शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की तिमाही आधार पर समीक्षा करने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश/अनुदेश भी जारी किए हैं। समीक्षा में विभिन्न प्रयोजनों के लिए इन समुदायों को सीधे अथवा राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों के माध्यम से ऋण देने में हुई प्रगति पर भी विचार किया जाता है।

****